

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- /री -1/भू. अ./2021 15
प्रति.

खण्डवा, दिनांक-3.2.2021

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल


विषय- "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/20-21 ग्राम फतेहपुर तहसील खण्डवा

—00—

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना हैं।

कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।


(डॉ.ममता खेडे)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

पृ. क्रमांक- /री -1/भू. अ./2021 16
प्रतिलिपि-


खण्डवा, दिनांक-3.2.2021

1. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन प्रतियां प्रस्तुत कराने का कष्ट करें। समाचार पत्र प्रकाशन व्यय रेल्वे विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें

1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड
2. उप-खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड
4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
5. ग्राम फतेहपुर की चौपाल पर


(डॉ.ममता खेडे)
अनुविभागीय अधिकारी, एवं
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा



कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्ती कं. /एल. ए./ /2021
प्रकरण क्रमांक-0612/अ-82/2020-21

खण्डवा, दिनांक 01 .02.2021

//अधिसूचना//

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र कं DY/CE/C/AK/KNW AMX /LA दिनांक 8.6.2020 प्रस्तुत कर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन(गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम फतेहपुर पटवारी हल्का नं 94 तह0 खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.130 हेक्टे भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है ।


उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै अनय द्विवेदी कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन विधि एवं विधियी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 मे वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

स.क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. मे.	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खण्डवा	खण्डवा	94	फतेहपुर	3.130 हेक्टे	अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य

नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल मे कमी अथवा वृद्धि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनय द्विवेदी)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

जिला- खण्डवा